न्यायालय: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-तीन, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी	-	इन्दु चौधरी,आरजेएस
नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या		6884/2026
सी.आई.एस. संख्या		6884/2026
एफ.आई.आर. संख्या		317/2025 पीएस जेएनवीसी

राज्य सरकार -अभियोगी

-बनाम्-

हरीश कुमार पुत्र भगवानदास उम्र 40 साल, निवासी रथखाना पीएस सदर, जिला बीकानेर, हाल आई-163 वल्लभ गार्डन, पीएस जेएनवीसी, जिला बीकानेर।

-अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 85 बीएनएस

उपस्थिति:

1- अभियोजन अधिकारी, वास्ते राज्य।
2- अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार वास्ते अभियुक्त।
3- अधिवक्ता श्री नेमगर स्वामी वास्ते परिवादिया।

:: निर्णय:: दिनांक: 12-08-2026

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 08-10-2025 को परिवादिया स्वाति ने पुलिस थाना जेएनवीसी पर उपस्थित आकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि दिनांक 06-10-2025 को सुबह 7-7.30 बजे जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार होकर गेट पर खड़ी थी, तब उसके पति हरीश कारिया ने अचानक आकर उसे अन्दर धक्का मारकर उसके सिर पर भारी हथियार से जोरदार चोट मारी। जिससे उसके सिर की दायीं साईड चोट लगी और 5-6 टांके आये और उसने दोबारा मारने की कोशिश की तो उसने अपने पति को धक्का मारा और बाहर भागकर शोर मचाने लगी। जिससे आस-पास के पड़ोसियों ने आकर बीच-बचाव किया। हरीश ये बोलकर भाग गया कि आज तो पड़ोसियों ने बचा लिया पर मैं फिर आऊंगा और जान से मार दूंगा। इसके बाद पड़ोसी पूनम कनोपिया व अन्य उसे अस्पताल ले गए व उसका इलाज कराया व टांके लगवाए। हरीश कारिया पिछले 8-10 साल से उसके साथ मारपीट कर रहा है और आदतन शराब व जुआ-सट्टे का आदी है इत्यादि। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना जेएनवीसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 317/25 अंतर्गत धारा 115(2), 126(2) बीएनएस

में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त हरीश के विरूद्ध धारा 115(2), 85 बीएनएस का अपराध प्रमाणित मानकर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 115(2), 85 बीएनएस में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण मूल फौजदारी पंजीबद्ध किया जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 85 बीएनएस के अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए, तो अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। जिस पर साक्ष्य अभियोजन तलब की गयी।

3. यहां इस बात का उल्लेख करना समीचीन होगा कि परिवादिया/मजरूबा स्वाति तथा अभियुक्त हरीश के मध्य धारा 115(2) बीएनएस में राजीनामा होने से अभियुक्त हरीश को दिनांक 12-08-2026 को धारा 115(2) बीएनएस में जरिए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया। पत्रावली में अब अभियुक्त के विरूद्ध धारा 85 बीएनएस का विचारण शेष रहा।

4. साक्ष्य अभियोजन में गवाह पीडब्ल्यू-1 स्वाति के बयान लेखबद्ध करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी1 लिखित रिपोर्ट, प्रदर्श पी2 चाक एफआईआर, प्रदर्श पी3 पुलिस बयान पीडब्ल्यू 1 स्वाति, प्रदर्श पी4 नक्शा मौका को प्रदर्शित करवाया।

5. अभियुक्त के बयान मुल्जिम बनना नहीं पाए जाने से बयान मुल्जिम लेखबद्ध नहीं किए गए।

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित बताते हुए उसे दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया। जिस पर अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध अपना मामला साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। परिवादिया पक्षद्रोही घोषित हुई है व पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। अतः अभियुक्त को उसके विरूद्ध आरोपित अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जावे।

7. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:

(1)- ''क्या अभियुक्त ने दिनांक 08-10-2025 से पूर्व किसी समय परिवादिया स्वाति का विवाह उसके साथ होने के पश्चात समय-समय पर परिवादिया से दहेज की मांग की व मांग की पूर्ति नहीं होने पर उसके साथ मारपीट कर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया?''

(2) यदि हाँ तो उचित दण्ड क्या होगा।

8. उक्त अवधारणीय बिन्दु के संबंध में प्रकरण में परिवादिया/मजरूबा पीडब्ल्यू 1 स्वाति ने अपने मुख्य परीक्षण में करीब एक साल पहले स्वयं की अपने पति से छोटी-मोटी बोलचाल होने के कारण आवेश में स्वयं द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने और कोई लड़ाई-

झगड़ा या मारपीट नहीं होने का कथन करने पर अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं करने के कारण गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया और जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने अभियुक्त के साथ स्वयं का राजीनामा होने के तथ्यों को स्वीकार करते हुए राजीनामा के कारण झूठे बयान देने से इन्कार किया है।

9. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित परिवादिया/मजरूबा पीडब्ल्यू 1 स्वाति ने अभियुक्त द्वारा उसे दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में लेशमात्र भी कथन नहीं किए हैं और न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुई है।

10. अतः अभियोजन पक्ष यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है कि अभियुक्त ने परिवादिया स्वाति का विवाह उसके साथ होने के पश्चात समय-समय पर परिवादिया को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया हो। अतः अभियुक्त को उसके विरूद्ध आरोपित धारा 85 बीएनएस के अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

11. फलतः अभियुक्त हरीश कुमार पुत्र भगवानदास उम्र 40 साल, निवासी रथखाना पीएस सदर, जिला बीकानेर, हाल आई-163 वल्लभ गार्डन, पीएस जेएनवीसी, जिला बीकानेर को उस पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 85 बीएनएस के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त को धारा 115(2) बीएनएस के आरोप से जरिए राजीनामा पूर्व में दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त के पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(इन्दु चौधरी)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या तीन, बीकानेर

12. निर्णय आज दिनांक 12-08-2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्दु चौधरी)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या तीन, बीकानेर